संख्या-७ ७ /2026/133/26-3-2026-1570272

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 20 जनवरी, 2026**

विषयः- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि से भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3622-23/स0क0/शिक्षा-अ/7/453-2/2025-26, दिनांक 08.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय 2025-26 में योजनान्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 880.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 34.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-164/2025/2810/26-3-2025-1570272 दिनांक 14.10.2025 द्वारा धनराशि रू0 21.12 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-149/2025/2529/26-3-2025-1570272 दिनांक 18.09.2025 द्वारा धनराशि रू0 5.48 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 26.60 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा अनुदान संख्या- 80 के लेखाशीर्षक 2225- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277 - शिक्षा, 02- अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति – 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (के0 60/रा0 40-रा) 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन मद में व्यय किये जाने हेतु राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि रू0 880.00 करोड़ के सापेक्ष, धनराशि रूपये 34.00 करोड़ (रूपये चौतीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके के निवर्तन पर रखे जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा

रही धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों एवं भारत सरकार की गाईडलाइन में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रू0-34.00 करोड़ (रूपये चौतीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 लेखाशीर्षक 2225-01-277-01-0102-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 20-01-2026
12:06:37
(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव